भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2326

उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026

सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (शक)

शिक्षुता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहायता को बढ़ावा देना

2326. श्रीमती संजना जाटव:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री बलभद्र माझी:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री प्रताप चंद्र षडंगी:
श्री नव चरण माझी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू की गई पहलों सहित देशभर में उद्योग-सम्मत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों, सेक्टर और जिला-वार इसका कार्यान्वयन शामिल है;

(ग) क्या एनएपीएस-2 के तहत शिक्षुओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हाँ, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों, जिलों और मध्य प्रदेश से उन्हें जारी की गई वित्तीय सहायता के साथ-साथ लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा विनिर्माण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, कृषि-प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्रों में शिक्षुता के अवसरों का विस्तार करने के लिए

सरकार द्वारा क्या विशिष्ट पहलें की गई हैं/की जा रही हैं और क्या देश में, उक्त राज्य और निर्वाचन क्षेत्रों में अतिरिक्त कौशल विकास और शिक्षुता केंद्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा क्षेत्रों सहित पूरे देश में इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग, एमएसएमई और प्रौद्योगिकियों कंपनियों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एमएसडीई ने ये खास कदम उठाए हैं:

i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करती है।
ii. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।
iii. संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।
iv. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई के छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।
v. पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप खासकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
vi. डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
vii. राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

viii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के अधिक एकीकरण की परिकल्पना करती है तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गों के बीच निर्बाध गतिशीलता को बढ़ावा देती है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित 'शिक्षुता अंतर्निहित उपाधि कार्यक्रम' (एईडीपी) उपाधि (डिग्री) और पत्रोपाधि (डिप्लोमा) कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को सुदृढ़ करता है और उद्योग-प्रासंगिक कौशलों के अर्जन को सुगम बनाता है।

ix. कौशल मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।

(ख) भारत सरकार ने देश भर में प्रशिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) शुरू की थी। 2022-23 से यह योजना एनएपीएस-2 के रूप में जारी है।

शिक्षुता प्रशिक्षण वास्तविक कार्य वातावरण में आयोजित किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सहित भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यावहारिक शिक्षा और उद्योग का अनुभव प्राप्त होता है।

उद्योगों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए, शिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत भागीदार प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षुता पोर्टल (www.apprenticeshipindia.gov.in) के माध्यम से उद्योग-नेतृत्व में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालयों (आरडीएसडीई), राज्य शिक्षुता सलाहकारों (एसएए) और सूचीबद्ध तृतीय पक्ष एग्रीगेटरों (टीपीए) का सहयोग शामिल है। इसके अलावा, शिक्षुता के अवसरों को बढ़ावा देने और एमएसएमई सहित उद्योग की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

एनएपीएस-2 के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षुओं और भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध की तालिका-I** में दिया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) के लिए **भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों** का संबंधित ब्यौरा **अनुबंध की तालिका-II** में दिया गया है।

एनएपीएस-2 के तहत, सरकार प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली वजीफा सहायता राशि, भुगतान किए गए वजीफे के **25% तक सीमित है, जो प्रति प्रशिक्षु प्रति माह अधिकतम ₹1,500 तक** सीमित है। यह राशि **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षु के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।

शिक्षुता के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय शिक्षुता पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता में भागीदारी को सरल बनाना;
- उद्योगों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया;
- अनुबंधों की डिजिटल प्रोसेसिंग और छात्रवृत्ति सहायता शुरू की गई;
- टीपीए के माध्यम से प्रशिक्षुता संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाया गया;
- युवाओं को जुटाने और उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पीएमएनएएम का संचालन किया; और
- वैकल्पिक ट्रेडों और निर्धारित ट्रेडों में शिक्षुता के अवसरों का विस्तार किया गया है।

भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एनएपीएस-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) तक क्षेत्रवार और जिलावार नियोजित प्रशिक्षुओं का ब्यौरा **अनुबंध की तालिका-III** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) तक एनएपीएस-2 के तहत भाग लेने वाले विशिष्ट प्रतिष्ठानों की संख्या, सभी क्षेत्रों में, पूरे देश में, संबंधित राज्य में और भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, **अनुबंध के तालिका-IV** में दी गई है।

(ग) एनएपीएस-2 के तहत लाभान्वित प्रशिक्षुओं और संवितरित वजीफा सहायता का ब्यौरा, जिसमें शामिल हैं: **मध्य प्रदेश भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों** में जिलावार आंकड़े अनुबंध की **तालिका-V और तालिका-VI** में दिए गए हैं।

(घ) शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में शिक्षुता के अवसरों का विस्तार करने के लिए, **राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना** विविध क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आतिथ्य, आईटी-आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेवा क्षेत्रों में महिलाओं सहित प्रशिक्षुओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

सरकार नियमित रूप से **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम)** का आयोजन देश भर में करती है, जिसमें प्रत्येक राज्य के एक तिहाई जिलों में हर महीने युवाओं, विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, राज्यों, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालयों (आरडीएसडीई), राज्य शिक्षुता सलाहकारों (एसएए), उद्योगों और तृतीय-पक्ष एग्रीगेटरों (टीपीए) के साथ हितधारकों की बैठकों के दौरान, सभी क्षेत्रों में महिला शिक्षुता की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है।

शिक्षुता के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, **शिक्षु अधिनियम, 1961** में 2014 में संशोधन किया गया ताकि **वैकल्पिक ट्रेडों** को शामिल किया जा सके, जिससे उद्योगों को अपनी विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षुता कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिल सके।

यह योजना महिला प्रशिक्षुओं सहित सभी प्रशिक्षुओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल प्रशिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती है। **शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 14** के तहत, प्रशिक्षुओं को **कारखाना अधिनियम, 1948** और **खान अधिनियम, 1952** के तहत कामगारों पर लागू होने वाले संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपबंधों के अंतर्गत कवर किया गया है। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षु नियमित कर्मचारियों के समान कार्यस्थल सुरक्षा उपायों, कल्याण सुविधाओं और सुरक्षात्मक प्रावधानों के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षु कार्यस्थल पर **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम)** के अंतर्गत भी कवर होते हैं। साथ ही, **शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 15** कार्य के घंटों और अवकाश प्रावधानों को विनियमित करती है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रशिक्षुओं को संस्थान के सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं के लिए कार्य घंटे आमतौर पर **सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे** के बीच सीमित होते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां संबंधित प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।

अनुबंध

'शिक्षुता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहायता को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तालिका-I: वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) तक एनएपीएस-2 के तहत नियोजित प्रशिक्षुओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा और भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजित प्रशिक्षु	प्रतिष्ठानों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	557	26
2.	आंध्र प्रदेश	93,094	1,135
3.	अरुणाचल प्रदेश	425	33
4.	असम	35,057	692
5.	बिहार	27,924	685
6.	चंडीगढ़	5,574	183
7.	छत्तीसगढ	23,300	339
8.	दिल्ली	92,956	898
9.	गोवा	42,714	511
10.	गुजरात	3,84,790	9,279
11.	हरियाणा	3,05,235	5,687
12.	हिमाचल प्रदेश	39,462	761
13.	जम्मू और कश्मीर	4,305	542
14.	झारखंड	43,810	475
15.	कर्नाटक	3,72,196	2,790
16.	केरल	59,020	1,846
17.	लद्दाख	180	16
18.	लक्षद्वीप	37	2
19.	मध्य प्रदेश	1,15,010	1,179
20.	महाराष्ट्र	10,88,818	8,402
21.	मणिपुर	492	35
22.	मेघालय	930	45
23.	मिजोरम	464	27
24.	नागालैंड	134	28
25.	ओडिशा	46,351	715
26.	पुदुचेरी	15,002	252
27.	पंजाब	77,054	1,106
28.	राजस्थान	95,061	1,145
29.	सिक्किम	1,651	82
30.	तमिलनाडु	4,52,033	3,034
31.	तेलंगाना	1,63,194	1,298
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12,710	141
33.	त्रिपुरा	1,828	79
34.	उत्तर प्रदेश	3,38,200	6,925
35.	उत्तराखंड	98,098	872
36.	पश्चिम बंगाल	1,22,655	1,380
	कुल	**41,60,321**	**45,332**

तालिका-II: भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) तक एनएपीएस-2 के तहत नियोजित प्रशिक्षुओं का ब्यौरा और भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजित प्रशिक्षु	प्रतिष्ठानों की संख्या
1	भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र*	34,186	264
2	नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	3,319	39
3	देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	14,012	106

***टिप्पणी:** एनएपीएस-2 के अंतर्गत उपलब्ध आंकड़े प्रशासनिक जिलों से संबंधित हैं, न कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से। चूंकि **भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र और अलवर जिले** के कुछ हिस्से शामिल हैं, इसलिए इस योजना के तहत शिक्षुता आंकड़ों का निर्वाचन क्षेत्रवार विभाजन नहीं किया जाता है। तदनुसार, **264 प्रतिष्ठानों में नियोजित 34,186 प्रशिक्षुओं के आंकड़े भरतपुर और अलवर जिलों** के लिए उपलब्ध जिला-स्तरीय आंकड़ों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

तालिका-III: वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) तक एनएपीएस-2 के तहत भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्रवार और जिलावार नियोजित प्रशिक्षुओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	क्षेत्र	भरतपुर		देवास-शाजापुर			नबरंगपुर		
		अलवर	भरतपुर	देवास	सीहोर	शाजापुर	कोरापुट	मल्कानगिरी	नबरंगपुर
1	एयरोस्पेस और विमानन	2		1					
2	कृषि	3		7	1				1
3	परिधान	2			190				1
4	अपैराल मेड अप्स होम फर्निशिंग	29		14	1,304				
5	ऑटोमोबाइल	862	23	194	14		173		2
6	ऑटोमोटिव	13,156	9	1,797	52	1	74	1	9
7	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई)	116	30	85	36	34	24	2	22
8	सौंदर्य एवं वेलनेस		1						
9	पूंजीगत माल	1,296	3	97	46		6	4	3
10	रसायन	31		116					
11	निर्माण	168		18	13	2	3	2	7
12	घरेलू कामगार			2	6				
13	इलेक्ट्रिकल (नए और	2,565	36	625	106	9	320	56	25

क्र.सं.	क्षेत्र	भरतपुर		देवास-शाजापुर			नबरंगपुर		
		अलवर	भरतपुर	देवास	सीहोर	शाजापुर	कोरापुट	मल्कानगिरी	नबरंगपुर
	नवीकरणीय ऊर्जा सहित)								
14	इलेक्ट्रानिक्स	7,231		300	14		31		
15	फैब्रिकेशन	443	6	111	7		99	5	4
16	खाद्य प्रसंस्करण	42	1	26	9				
17	फर्नीचर और फिटिंग	338	2	73	53		246	16	
18	रत्न और आभूषण	50							
19	ग्रीन जॉब्स	37		2					
20	स्वास्थ्य देखभाल	12		5			3	3	1
21	स्वास्थ्य देखभाल और वेलनेस	1							
22	हाइड्रोकार्बन	12	1	16					
23	औद्योगिक स्वचालन और इन्स्ट्रुमेंटेशन	24		4					
24	लोहा और इस्पात	268	9	31	10		23	51	51
25	आईटी आईटीईएस	203	20	333	63	16	43		22
26	चमड़ा	286							
27	लाइफ साइन्सेज	489	1	1,114					
28	लॉजिस्टिक्स	692	3	37	354				
29	प्रबंधन एवं उद्यमिता एवं व्यावसायिक कौशल	381	4	38	21	2	20	2	15
30	मीडिया और मनोरंजन	12		3					
31	खनन				1				
32	पेंट और कोटिंग्स	1							
33	प्लंबिंग	224		28			5		
34	विद्युत	331	86	84	31	2	30	15	
35	उत्पादन और विनिर्माण	2,524	31	535	281		1,383	23	8
36	खुदरा	216	62	154	3	3	121	2	97
37	रबड़	774		186					

क्र.सं.	क्षेत्र	भरतपुर		देवास-शाजापुर			नबरंगपुर		
		अलवर	भरतपुर	देवास	सीहोर	शाजापुर	कोरापुट	मल्कानगिरी	नबरंगपुर
38	मरम्मत और रखरखाव सहित सेवाएं	118		8			7		
39	दूरसंचार	138	38	30	14	12	2		
40	वस्त्र	315			5,160				
41	पर्यटन और आतिथ्य	426	2	3	63	2	31	11	214
	कुल	**33,818**	**368**	**6,077**	**7,852**	**83**	**2,644**	**193**	**482**

तालिका-IV: वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) तक एनएपीएस-2 के तहत भाग लेने वाले सभी क्षेत्रों के विशिष्ट प्रतिष्ठानों की संख्या, पूरे देश में, संबंधित राज्य में और भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य/जिले/निर्वाचन क्षेत्र	एनएपीएस-2 के तहत प्रशिक्षुओं को नियोजित करने वाले विशिष्ट प्रतिष्ठानों की संख्या
1	संपूर्ण भारत	45,332
2	मध्य प्रदेश	1179
3	ओडिशा	715
4	राजस्थान	1145
5	भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	264
6	नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	39
7	देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	106

तालिका-V: मध्य प्रदेश में एनएपीएस-2 के तहत लाभान्वित प्रशिक्षुओं का ब्यौरा और डीबीटी के माध्यम से संवितरित वजीफा राशि में सरकार का हिस्सा निम्नानुसार है:

क्रमांक	राज्य	एनएपीएस-2 के अंतर्गत लाभार्थी प्रशिक्षुओं की संख्या	डीबीटी के माध्यम से वितरित वजीफा राशि में सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपये में)
1.	मध्य प्रदेश	91,598	64.75

तालिका - VI: भरतपुर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एनएपीएस-2 के तहत जिलावार लाभान्वित प्रशिक्षुओं का ब्यौरा और डीबीटी के माध्यम से संवितरित वजीफा राशि में सरकार का हिस्सा निम्नानुसार है:

जिला	एनएपीएस-2 के अंतर्गत लाभार्थी प्रशिक्षुओं की संख्या	डीबीटी के माध्यम से संवितरित वजीफा राशि में सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपये में)
भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	**8,502**	**5.91**
अलवर	5,384	3.87
भरतपुर	3,118	2.04
नबरंगपुर लोकसभा क्षेत्र	**2,146**	**1.47**
कोरापुट	1,134	0.63
मल्कानगिरी	424	0.34
नबरंगपुर	588	0.50
देवास-शाजापुर लोकसभा क्षेत्र	**6,796**	**5.18**
देवास	3,670	3.12
सीहोर	1,866	1.13
शाजापुर	1,260	0.93

नोट: एनएपीएस-2 के तहत डीबीटी आधारित वजीफा सहायता जुलाई 2023 से शुरू हुई।
